सं०सं०–16/यू.1–28/2019

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक :–

विषय :– दिनांक 21.03.2020 को दो प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न बिज्ञापन प्रारुप को दिनांक 21.03.2020 को दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, प्रशाखा–16 को भी उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :–16/यू.1–28/2019–371(आ०चि०) पटना, दिनांक :–17.03.2020

प्रतिलिपि :–विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–एच०एम०आई०एस०, मैनेजर, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2020

सरकार के विशेष सचिव

D:\Irshad alam\Press Vigapati.docx

371 (आ॰चि॰)
17.3.2020

47

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन संख्या–01/2020

राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सूचना

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के न्यूनतम मापदण्ड को पूरा करने हेतु राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401, दिनांक 18.07.2007 के तहत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) चिकित्सा शिक्षण सेवा नियमावली–2017 के अन्तर्गत Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. **संविदा नियोजन हेतु मापदण्ड/शर्तें:–**

सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर यह नियोजन 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता:–

(क) सहायक प्राध्यापक:– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०यू०एम०एस० डिग्री तथा संबंधित/संवर्गी विषय में स्नातकोत्तर उपाधी योग्यता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ख) सह–प्राध्यापक:– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त यूनानी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर 05 (पाँच) वर्ष का शैक्षणिक अनुभव एवं न्यूनतम 02 शोध पत्र प्रकाशित हो।

(ग) प्राध्यापक:– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त यूनानी कॉलेज में सह–प्राध्यापक के पद पर 05 (पाँच) वर्ष का शैक्षणिक अनुभव एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर 05 (पाँच) वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अर्थात कुल–10 (दस) वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है तथा न्यूनतम 02 शोध पत्र प्रकाशित हो।

2. **उम्र सीमा (01.08.2019 को अधिकतम) :–**

क्र० सं०	कोटि	सहायक प्राध्यापक
1	अनारक्षित (पुरूष)	45 वर्ष
2	अनारक्षित (महिला)	48 वर्ष
3	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	50 वर्ष

- बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी एवं सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के लिए दिनांक 01.08.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 64 वर्ष होगा।

D:\Irshad alam\Press Vigapati.docx

Ab)

3. **मानदेय :–**

- सहायक प्राध्यापक –75,000/– (पचहत्तर हजार रू०)
- सह प्राध्यापक –86,500/– (छियासी हजार पाँच सौ रू०)
- प्राध्यापक –1,32,500/–(एक लाख बतीस हजार पाँच सौ रू०)

4. **रिक्ति** :– विभागवार, पदवार एवं कोटिवार रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित है:–

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	रिक्तियों की सं०	कोटि
1	2	3	4	5
1	मोनाफेउलआजा विभाग	सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सहायक प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
2	मोआलेजात विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
3	निश्वा–व–कबालात विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सहायक प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
4	इलमुल अतफाल विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
5	ऐन उज्न अनफ–व–हलक विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
6	अमराजे जिल्द–व–तजीनियात विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
7	इलाज बित तदबीर विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
8	जराहियात विभाग	सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
9	तहफ्फुजी–व–समाजी तिब्ब विभाग	सह–प्राध्यापक	3	अनारक्षित–2, अनुसूचित जाति–1
10	महियतुल अमराज विभाग	सह–प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
11	तशरीहूल बदन विभाग	सह–प्राध्यापक	2	अनारक्षित–1, अनुसूचित जाति–1
12	कुल्लियात विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सह–प्राध्यापक	2	अनारक्षित–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1
13	इलमूल अदविया विभाग	प्राध्यापक	1	अनारक्षित–1
		सह–प्राध्यापक	3	अनारक्षित–2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1
		कुल–	27	

रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

5. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।

6. आवेदन प्रपत्र विभागीय वेवसाईट www.ayush.bihar.gov.in के नोटिस बोर्ड से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में भरा हुआ तथा उम्र, योग्यता, शैक्षणिक अनुभव, आरक्षण एवं प्रकाशन संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति उक्त वेब–साईट पर अपलोड करना अनिवार्य है। ऑन लाईन आवेदन 23.03.2020 से कर सकते हैं।

7. साक्षात्कार के समय आवश्यक शैक्षणिक कार्य अनुभव, आरक्षण एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ राज्य आयुष समिति के वेबसाईट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार आवेदक को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। अलग से पत्र नहीं दिया जायेगा।

8. पद रिक्त रहने की स्थिति में संविदागत नियुक्ति की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी रहेगी, जब तक पदों पर नियुक्ति न हो जाय, रिक्त पदों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार पद भरे जाने तक क्रमानुसार विज्ञापित होता रहेगा।

9. साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से ही चयन किये जाने की बाध्यता नही होगी तथा साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

10. संविदा पर चयनित चिकित्सकों को राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने हेतु आरक्षण के अनुसार पदस्थापन की जा सकेगी। साथ ही पदस्थापित स्थान पर योगदान नही करने पर भविष्य में संविदा पर उस पद पर दावा नही कर सकेगें एवं इस हेतु उन्हें योग्य नही माना जायेगा।

11. संविदा पर चयनित होने से नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा एवं ऐसी नियोजन किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियोजन नियमित नियुक्ति या प्रोन्नति होने तक ही मान्य होगा, इसके लिए न्यायालय का शरण नहीं लेगें।

12. **चयन की प्रक्रियाः–** स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–152(आ०चि०), दिनांक 09.02.2017 एवं स्वास्थ्य विभाग की संकल्प संख्या–736(17) दिनांक 12.09.2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और एक पैनल भी तैयार किया जाएगा। यह वरीयता क्रमवार पैनल की अवधि मात्र एक वर्ष के लिए वैध होगा। एक वर्ष के अन्दर समय–समय पर रिक्ति उपलब्ध होने पर इसी पैनल से नियुक्ति की जा सकती है एवं एक वर्ष समाप्त होने पर यह पैनल स्वतः समाप्त हो जाएगी।

नोटः–सभी आवेदन पत्र राज्य आयुष समिति के वेबसाईट www.ayush.bihar.gov.in पर online दिनांक 10.04.2020 को अपराहन पाँच बजे तक प्राप्त किये जायेगें। निर्धारित तिथि के बाद एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

17/3/2020

विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

371(आ. चि.)
17.3.2020

D:\Irshad alam\Press Vigapati.docx